न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 89/2025

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		श्री गणपतसिंह उर्फ गणपत जाति विश्नोई निवासी खारी पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 05.04.2021 के बमुकाम श्री हरचन्दराम नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना को इतला मिली कि महादेव नगर, कस्बा धोरीमन्ना में पिकअप गाडी नं. आर.जे. 19 सीजी 0756 का चालक टंकी में अवैध बायो डीजल बेच रहा है। जिस पर श्री मगन खां स.उ.नि. द्वारा मौका पर पहुच कर उक्त वाहन मय चालक गणपतसिंह पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी खारी, पुलिस थाना धोरीमन्ना को दस्तयाब कर वाहन एवं उसमें भरा हुआ सामान के बारे में पुछताछ की गई तब चालक द्वारा वाहन में बायोडीजल भरा होना बताया गया। श्री मगन खां सउनि मय जाब्ता द्वारा भी टंकी का ढक्कन खोलकर चैक करने पर डीजलनुमा पदार्थ होना पाया गया। इस संबध में अप्रार्थी गणपतसिंह से उक्त पदार्थ विक्रय करने के संबध में [illegible] की तो अपने पास कोई लाईसेंस/परमिट नहीं होना बताया। [illegible] टंकी में कुल 1280 लीटर बायोडीजल/डीजलनुमा तरल पदार्थ भरा होना पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम गणपतसिंह उर्फ गणपत पुत्र हरीराम द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी जसाराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1280 लीटर बायोडीजल पदार्थ व वाहन पिकअप नंबर आरजे 19 सीजी 0756 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 19 सीजी 0756 को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री गणपतसिंह उर्फ गणपत पुत्र हरीराम को अवैध रूप से डीजल पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे आरजे 19 सीजी 0756 में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर गणपतसिंह ने डीजल होना बताया। प्लास्टिक ड्रमों की जांच करने पर कुल 1280 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से डीजल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 1280 लीटर बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे आरजे 19 सीजी 0756 को कब्जा सरकार से एत्‌दद्वारा मुक्त किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सीजशुदा वाहन बालेरो पिकअप एवं बायोडीजल पदार्थ अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested